

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.क.मांक-984 / 2011
 संस्थित दिनांक-22 / 12 / 2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी डोरा, आरक्षी केन्द्र रूपझर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

विरुद्ध

मोहम्मद अनवर पिता मोहम्मद गौस, जाति-मुसलमान, उम्र-29 वर्ष,
 निवासी-ग्राम उकवा, थाना रूपझर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-16 / 08 / 2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 (दो काउंट), 427 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-134 / 187, 146 / 196, 39 / 192 के अंतर्गत यह आरोप है कि दिनांक-27.11.2011 को समय 9:30 बजे स्थान ग्राम सिंघई रोड एकता स्कूल के सामने रोड पर चौकी डोरा थाना रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन रजिस्ट्रेशन बजाज कमांक-एम.पी.50 / एम.डी. 4723 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, उक्त वाहन द्वारा आहत चैतराम व सुरेन्द्र को टक्कर मारकर उपहति कारित कर, फरियादी चैतराम के आधिपत्य की सायकल को टक्कर मारकर रिष्टि कारित किया, आहतगण को चिकित्सीय सहायता प्रदान किये बगैर घटना स्थल से भाग गया तथा उक्त दुर्घटना कारित वाहन को बिना बीमा व बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-27.11.2011 को समय 9:30 बजे स्थान ग्राम सिंघई रोड एकता स्कूल के सामने रोड पर चौकी डोरा थाना रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायकल बजाज कमांक-एम.पी.50 / एम.डी. 4723 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाते हुए फरियादी चैतराम की सायकल को टक्कर मार दिया, जिससे सायकल गिर गई और फरियादी/आहत चैतराम व आहत सुरेन्द्र को चोट आयी तथा सायकल

क्षतिग्रस्त हो गई। फरियादी/आहत चैतराम द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी डोरा में दर्ज करायी गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/11, धारा-279, 337, 427 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया गया तथा जिस पर थाना रूपझर में असल नंबर अपराध क्रमांक-142/11, धारा-279, 337, 427 भा.दं.वि. के अन्तर्गत कायमी कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया, क्षतिग्रस्त सायकल का नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 427 (दो काउंट) एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 39/192 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-27.11.2011 को समय 9:30 बजे स्थान ग्राम सिंघई रोड एकता स्कूल के सामने रोड पर चौकी डोरा थाना रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन रजिस्ट्रेशन बजाज क्रमांक-एम.पी. 50/एम. डी. 4723 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षा पूर्वक चलाकर प्रार्थी/आहत चैतराम एवं सुरेन्द्र को टक्कर मारकर उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी चैतराम के आधिपत्य के वाहन सायकल को वाहन क्रमांक-एम.पी.50/एम. डी. 4723 से टक्कर मारकर रिष्टि कारित की ?
4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण को चिकित्सीय सहायता प्रदान किये बगैर घटना स्थल से भाग गये ?

5. क्या क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा व रजिस्ट्रेशन के चलाया?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- आहत चैतराम (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि घटना के समय वह सुरेन्द्र के साथ डोरा जा रहा था तभी डोरा तरफ से आरोपी ने मोटरसाइकिल तेज गति से चलाते हुए उसकी सायकल को ठोस मार दी, जिससे सायकल बीच से पूरी टूट गई थी, जिसमें उसे पांच हजार रुपये का नुकसान हुआ था। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 लेख करायी थी तथा उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था तथा नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने नुकसानी पंचनामा नहीं बनाया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह सायकल लापरवाही पूर्वक चला रहा था और उसे बचाने के कारण दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह डाक्टर के लडके के साथ रिपोर्ट लिखाने गया था और उसने डाक्टर के लडके के कहने के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने मौका नक्शा प्रदर्श पी-3 पर चौकी डोरा में हस्ताक्षर कराये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी सायकल 6-7 साल पुरानी थी, जिसकी कीमत एक हजार रुपये रही होगी।

6- उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में उसे दुर्घटना में आयी चोटों के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में सायकल टूटने से पांच हजार रुपये नुकसानी होना प्रकट किया है, जबकि नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-4 के अनुसार कथित नुकसानी दो हजार रुपये की होना प्रकट होता है। यद्यपि उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में घटना के समय सायकल की कीमत मात्र एक हजार रुपये होना स्वीकार किया है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा घटना के समय उसे उपहति कारित होने के महत्वपूर्ण तथ्य को साक्ष्य में प्रकट नहीं किया है और कथित नुकसानी के बारे में अत्यंत बढा-चढाकर कथन किये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के द्वारा फरियादी के रूप में किसी अन्य के कहने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना स्वीकार किया है और घटना के समय स्वयं सायकल को लापरवाही पूर्वक चलाने व उसे बचाने के कारण दुर्घटना होने के तथ्य को स्वीकार किया होने से साक्षी के कथन से आरोपी के द्वारा कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में साक्ष्य संदेहास्पद प्रतीत होती है।

7- अन्य आहत सुरेन्द्र (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया

है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना दो-तीन महीने पूर्व सुबह 9:00 बजे ग्राम उकवा की है। वह अपनी सायकल से चैतराम के साथ डोरा जा रहा था तो मोटरसाइकिल वाले में तेज गति से चलाते हुए उनकी सायकल को ठोस मारकर भाग गया, जिससे उनकी सायकल टूट गयी थी। उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी अपनी साईड से आ रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह घटना के समय सायकल में पीछे में बैठा था, इसलिए वह यह नहीं बता सकता कि आरोपी तेज गति से वाहन चला रहा था या नहीं। साक्षी ने फरियादी चैतराम की गलती से दुर्घटना होने के तथ्य से इंकार किया है। इस साक्षी के द्वारा भी कथित घटना के समय उसे आयी चोटों के संबंध में अपनी साक्ष्य में कथन नहीं किये गये हैं। साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आरोपी घटना के समय मोटरसाइकिल को चला रहा था, किन्तु साक्षी ने मुख्य परीक्षण में आरोपी द्वारा गाडी को तेज गति से चलाने के कथन किये हैं, जबकि प्रतिपरीक्षण में सायकल के पीछे बैठने के कारण आरोपी के द्वारा तेज गति से चलाये जाने के तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में साक्ष्य संदेहास्पद प्रतीत होती है।

8— चक्षुदर्शी साक्षी सूरज (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता तथा उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय मोटरसाइकिल को तेजी एवं लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिस कारण चैतराम की सायकल को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आहतगण चैतराम व सुरेन्द्र को चोट आयी थी और उनकी सायकल को नुकसान हुआ था। इस प्रकार साक्षी के द्वारा चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया गया है।

9— डाक्टर वासु क्षत्रिय (अ.सा. 8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने आरक्षक कन्हैया के द्वारा आहत चैतराम एवं आहत सुरेन्द्र को आयी चोटों के परीक्षण हेतु लाये जाने पर आहतगण को कडी एवं खुरदुरी वस्तु से साधारण चोट आना पाया था, उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 एवं 8 है। साक्षी के द्वारा घटना के समय की आहतगण चैतराम एवं सुरेन्द्र को साधारण चोट कारित होने की पुष्टि की है, किन्तु आहतगण ने उन्हे आयी चोटों के संबंध में अपनी साक्ष्य में कोई कथन नहीं किये हैं। आहतगण ने अपनी साक्ष्य में केवल पुलिस द्वारा उनका चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने के कथन किये हैं। इस प्रकार चिकित्सीय साक्षी की कथित चोटों के संबंध में सम्पुष्टि कारक साक्ष्य का महत्व

नहीं रह जाता, जबकि स्वयं आहतगण ने उन्हें आयी कथित चोटों के बारे में अपनी साक्ष्य में कोई खुलासा नहीं किया है।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी मनोज पंचबुद्धे (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने चैतराम की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 लेख की थी। विवेचना के दौरान उसने चैतराम की निशानदेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। यद्यपि स्वयं फरियादी चैतराम के द्वारा दूसरे के कहने पर रिपोर्ट दर्ज किये जाने और चौकी डोरा में ही मौका नक्शा प्रदर्श पी-3 पर हस्ताक्षर किये जाने की स्वीकारोक्ति के कारण अनुसंधानकर्ता की उक्त साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता।

11— अनुसंधानकर्ता अधिकारी मनोज पंचबुद्धे ने आगे यह भी कथन किया है कि उसने क्षतिग्रस्त सायकल का नुकसानी पंचानाम प्रदर्श पी-4 तैयार किया था और मौके पर साक्षी चैतराम, सुरेन्द्र, सूरज के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उसने दिनांक-16.12.2011 को आरोपी से मोटरसाइकिल बजाज पल्सर क्रमांक-एम.पी.50/एम.डी.4723 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसने आरोपी अनवर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसकी साक्ष्य का महत्वपूर्ण खण्डन बचावपक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी ने अनुसंधानकर्ता अधिकारी के रूप में आरोपी के द्वारा कथित मोटरसाइकिल को बिना बीमा कराये चलाने और उक्त दस्तावेज पेश न करने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी के द्वारा कथित मोटर यान अधिनियम के कथित उल्लंघन एवं अपराध के संबंध में साक्ष्य पेश नहीं की है।

12— अनुसंधानकर्ता के अधिकारी के द्वारा की गई नुकसानी पंचनामा की कार्यवाही के संबंध में संजय (अ.सा.4) एवं रामू उईके (अ.सा.5) ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि घटना के समय सायकल के टूटने पर नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था। अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा की गई शेष कार्यवाही जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-5 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 के संबंध में साक्षी मोहम्मद हुसैन (अ.सा.6) एवं मोहम्मद रफीक (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेजों पर उन्होंने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था।

13— विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की

साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है ।

14— अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है जबकि बचाव पक्ष को अभियोजन के मामले में संदेहास्पद परिस्थिति प्रकट करनी होती है जिनका लाभ उसे प्राप्त हो सके। मामले में प्रस्तुत आहत चैतराम (अ.सा.3) एवं सुरेन्द्र (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में उन्हें उपहति कारित होने के संबंध में तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि आहत चैतराम (अ.सा.3) एवं सुरेन्द्र (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा मोटरसाइकिल को तेज गति से चलाने के कथन किये हैं किन्तु आरोपी की लापरवाही या उतावलेपन से दुर्घटना होने के कथन नहीं किये, इस कारण मात्र तेज गति से वाहन चलाने को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कृत्य की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। स्वयं आहत चैतराम ने उसके द्वारा अपनी सायकल को लापरवाही पूर्वक चलाये जाने का तथ्य प्रकट किया है ऐसी परिस्थिति में इस अधिसंभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि आहत चैतराम के द्वारा सायकल को लापरवाही पूर्वक चलाने से आरोपी की मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह उत्पन्न होता है कि आरोपी ने लोकमार्ग पर मोटरसाइकिल को उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहतगण को उपहति कारित की। प्रकरण में अभियोजन मामले में उक्त संदेहास्पद परिस्थिति का लाभ बचाव पक्ष को प्रदान किया जा सकता है।

15— मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से केवल यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा मोटरसाइकिल को चलाते हुए लाया जा रहा था, किन्तु घटना के समय उक्त मोटरसाइकिल को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक चलाये जाने का तथ्य अभियोजन की ओर से प्रमाणित नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट नहीं किया है कि आरोपी ने फरियादी चैतराम की सायकल को नुकसान पहुंचाने के आशय से या संभावना जानते हुए रजिस्ट्रेशन से ठोस मारकर नुकसानी कारित किया। इस प्रकार साक्ष्य में आरोपी द्वारा कथित नुकसानी जानते हुए या उसकी संभावना को जानते हुए कथित सायकल को टक्कर मारने का तथ्य का अभाव है, जिस कारण आरोपी के विरुद्ध रिष्टि कारित किये जाने का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

16— मामले में यह प्रमाणित है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय मोटरसायकल को चलाया जा रहा था। अभियोजन पर यह प्रमाणित करने का भार था कि आरोपी के द्वारा उक्त मोटरसायकल को बिना बीमा कराये व रजिस्ट्रेशन कराये चलाये जा रहा था। इस संबंध में अनुसंधानकर्ता अधिकारी मनोज पंचबुद्धे (अ.सा.9) ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त वाहन

का बीमा और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इस प्रकार स्वयं अभियोजन पर ही आरोपी द्वारा मोटर यान अधिनियम के कथित उल्लंघन या अपराध के संबंध में सर्वप्रथम यह प्रमाण भार था, जिसे अभियोजन ने साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं किया है।

17— प्रकरण में आरोपी के द्वारा आहतगण को कथित दुर्घटना में उपहति कारित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी मनोज पंचबुद्धे (अ.सा.9) ने अपनी साक्ष्य में आहतगण को कथित उपहति कारित करने के पश्चात् भाग जाने के आधार पर मोटर यान अधिनियम के उल्लंघन किये जाने के संबंध में कोई तथ्य पेश नहीं किया है। ऐसी दशा में आरोपी के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत आहतगण को चिकित्सीय सहायता प्रदान किये बगैर घटना स्थल से भाग जाने के तथ्य साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होता।

18— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन रजिस्ट्रेशन बजाज क्रमांक—एम.पी.50/एम.डी. 4723 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, उक्त वाहन द्वारा आहत चैतराम व सुरेन्द्र को टक्कर मारकर उपहति कारित कर, फरियादी चैतराम के आधिपत्य की सायकल को टक्कर मारकर रिष्टि कारित किया, आहतगण को चिकित्सीय सहायता प्रदान किये बगैर घटना स्थल से भाग गया तथा उक्त दुर्घटना कारित वाहन को बिना बीमा व रजिस्ट्रेशन के चलाया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337(दो काउंट), 427 एवं मोटरयान अधिनियम की मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196, 39/192 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

19— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसायकल बजाज क्रमांक—एम.पी. 50/एम.डी. 4723 मय दस्तावेज के रजिस्टर्ड स्वामी मोहम्मद अनवर पिता मोहम्मद गौस, निवासी उकवा तहसील बैहर जिला बालाघाट को गया है। अतएव अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट